

श्री ओम बिरला (कोटा) ः भारत सरकार द्वारा कृषि लागत और मूल्य आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर कुछ फसलों की बुवाई सत्र के आरम्भ में न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। यह भारत सरकार द्वारा उत्पादकों-किसानों को अत्यधिक उत्पाद वर्षों के मूल्यों में अत्यधिक गिरावट के विरुद्ध सुरक्षित करने के लिए नियत किया गया मूल्य है।

वर्तमान में तकरीबन 25 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है, जिनमें सात अनाज, पांच दालें, आठ तिलहन शामिल हैं।

मेरी सरकार से मांग है कि किसानों के हित में राजस्थान की विशिष्ट फसलों यथा ग्वार, मोठ, चवाला, जीरा, धनिया, लहसुन, इसबगोल, अरंडी, ग्वारपाठा तथा मेहन्दी के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा भी की जाए जिससे राजस्थान के किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य प्राप्त हो।